पत्र संख्या : 7ब/4701 यो०ज०सं०–05/2012 -91

# झारखण्ड सरकार
## जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

**एस० के० शतपथी,**
प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/अग्रिम योजना/देवघर,
संबंधित अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

**राँची, दिनांक** 17-8-12

विषय :– मॉग संख्या–49–जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–4701–मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय, उप–मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–796–जन–जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष–71–सर्वेक्षण, अनुसंधान, परामर्श एवं मुल्यांकण, विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान, 49 आर्थिक सहायता, विपत्र कोड 49P470180796710649 के अन्तर्गत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 में निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2012–13 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष **4701–मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय** के अंतर्गत परिशिष्ट–1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :–

| क्र० | मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष | लघु शीर्ष/उप शीर्ष | विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड | आवंटित राशि (लाख रू० में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 49–जल संसाधन विभाग/ 4701–मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय/ 80–सामान्य | 796–जन–जातीय क्षेत्रीय उपयोजना/71–सर्वेक्षण, अनुसंधान, परामर्श एवं मूल्यांकन | 06–अनुदान, 49 आर्थिक सहायता 49P470180796710649 | **25.30** |

**आवंटित राशि – ₹ पचीस लाख तीस हजार मात्र।**

2. आवंटित राशि वर्ष 2012–13 के बजट उपबंध **रू० 175.00 लाख (एक करोड़ पत्तहतर लाख)** मात्र अंतर्गत है।
3. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्त्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि० (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि०) दि० 15.07.2003 के आलोक में होगा।
4. आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत परिशिष्ट–1 में वर्णित कार्यो के लिए किया जायेगा।
5. संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
6. संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।

| | | | |
|---|---|---|---|
| (सुरेश प्रसाद भगत) | (जयप्रकाश भट्टाचार्या) | (सुबोध कुमार सिन्हा) | (बी० सी० निगम) |
| सहायक अभियंता | उप सचिव (अभि०) | संयुक्त सचिव (अभि०) | विशेष सचिव |

7. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकरी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
8. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
9. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
10. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
11. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगें। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
12. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2013** तक निश्चित रूप से कर देंगे।

**नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।**

**अनु॰ :– यथोक्त**

**(एस॰ के॰ शतपथी)**
**प्रधान सचिव**

ज्ञापांक :– 91 राँची, दिनांक :– 17-8-12

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हक॰) झारखण्ड पो॰ – **हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरण्डा/दुमका/सिमडेगा/गुमला** सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**अनु॰ :– यथोक्त**

**(एस॰ के॰ शतपथी)**
**प्रधान सचिव**

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/सचिव योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव जल संसाधन विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो॰) राँची/अभियंता प्रमुख –I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि॰)/उप सचिव (अभि॰) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**अनु॰ :– यथोक्त**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (सुरेश प्रसाद भगत) | (जयप्रकाश भट्टाचार्या) | (सुबोध कुमार सिन्हा) | (बी॰ सी॰ निगम) | **(एस॰ के॰ शतपथी)** |
| सहायक अभियंता | उप सचिव (अभि॰) | संयुक्त सचिव (अभि॰) | विशेष सचिव | **प्रधान सचिव** |

विभागीय पत्रांक..........91.......... दिनांक ..........17-8-12.......... का अनुलग्नक — परिशिष्ट –1

मॉग संख्या–49–जल संसाधन विभाग
मुख्य शीर्ष–4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय,
उप–मुख्य शीर्ष–80–सामान्य,
लघु शीर्ष –796–जन–जातीय क्षेत्रीय उपयोजना
उप शीर्ष–71–सर्वेक्षण, अनुसंधान, परामर्श एवं मूल्यांकन
विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान, 49 आर्थिक सहायता, 49P470180796710649

**वित्तीय वर्ष 2012–13 में बजट उपबंध 175.00 लाख (₹ एक करोड पचहत्तर लाख) रूपये मात्र।**

( राशि लाख ₹ में)

| क्र॰ | प्रमंडल का नाम | मुख्य अभियंता | योजना का नाम | प्रशासनिक स्वीकृति | | मार्च 2012 तक का व्यय | वित्तीय वर्ष 2012–13 में आवंटन | | | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | राशि | प्रसंग | | पूर्व का आबंटन | वर्त्तमान आबंटन | कुल आवंटित राशि | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | सिंचाई प्रमंडल, बुण्डू | राँची | विभिन्न तरह के सर्वेक्षण, अनुसंधान, परामर्श, प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन कार्य/विभिन्न नदियों पर गेज डिस्चार्ज मापन कार्य/ए परामर्शियों के पारिश्रमिकादि का भुगतान | 350.00 | 08/12-13 प्र०स्वी०/ दिनांक– 09.06.2012 | 2.36 | 0.00 | 8.35 | 8.35 | काँची बराज योजना। स्थल पर Core drilling के सर्वेक्षण एवं तत्संबंधी प्रतिवेदन से संबंधित कार्य |
| 2 | अग्रिम योजना प्रमंडल, राँची | अग्रिम योजना | | | | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 11.00 | 11 अदद पुराने डी०पी०आर० को अद्यतन कर नया डी०पी०आर० तैयार करना |
| 3 | अग्रिम योजना प्रमंडल, दुमका | अग्रिम योजना | | | | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 5 अदद पुराने डी०पी०आर० को अद्यतन कर नया डी०पी०आर० तैयार करना |
| 4 | जलपथ प्रमंडल सं०–1, सिमडेगा | राँची | | | | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | तपकारा जलाशय योजना के पुनर्स्थापन कार्य हेतु डी०पी०आर० तैयार करना |
| 5 | जलपथ प्रमंडल गुमला | राँची | | | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | कतरी जलाशय योजना के पुनर्थापन कार्य हेतु डी०पी०आर० तैयार करना |
| 6 | सिंचाई प्रमंडल दुमका | देवघर | | | | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | बड़ानदी जलाशय योजना के पुनर्स्थापन हेतु डी०पी०आर० तैयार करना |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | कैराबनी जलाशय योजना के पुनर्स्थापन हेतु डी०पी०आर० तैयार करना |
| | | | | | कुल योग | **2.36** | **0.00** | **25.30** | **25.30** | |
| आवंटित राशि – ₹ पचीस लाख तीस हजार मात्र। | | | | | | | | | | |

(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

(जयप्रकाश भट्टाचार्या)
उप सचिव (अभि॰)

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

(बी॰ सी॰ निगम)
विशेष सचिव

**(एस॰ के॰ शतपथी)**
**प्रधान सचिव**